पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.873

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16821

==========

ले0 कर्नल संदीप कुमार (आई.सी.-6179 एम) पुत्र स्व 0 रामचन्द्र प्रसाद निवासी- मकान सं०-455, वार्ड सं०-03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, जिला-देवरिया (यू. पी.), वर्तमान-मुख्यालय 26 में पदस्थापित तोपखाना ब्रिगेड (ए), पिन-908026, द्वारा 56 ए पी.ओ. वर्तमान निवास स्थान-मकान सं० 455, वार्ड सं०-03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, थाना-देवरिया, जिला-देवरिया (यू. पी.)

----------याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, अनुशासन और सतर्कता डी. वी.-4 (ए), एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय-क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय (सेना), डी. एच. क्यू. पी. ओ., नई दिल्ली-110105।
3. जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
4. ब्रिगेडियर, स्टाफ ऑफिसर (अनुशासन और सतर्कता) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
5. कर्नल, स्टाफ ऑफिसर/कार्यवाहक कर्नल ए (मानवाधिकार) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
6. स्मृति वर्मा, पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार, पुत्री तारकेश्वर प्रसाद गाँव-अलीसराय, डाकघर-माछेही, थाना सकरा, जिला-मुजफ्फपुर।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2023 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1114

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं॰ 16821

==========

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, अनुशासन और सतर्कता डी. वी.-4 (ए), एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय-क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय (सेना), डी. एच. क्यू. पी. ओ., नई दिल्ली-110105।
3. जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
4. ब्रिगेडियर, स्टाफ ऑफिसर (अनुशासन और सतर्कता) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 एपीओ के लिए।
5. कर्नल, स्टाफ ऑफिसर/कार्यवाहक कर्नल ए (मानवाधिकार) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543,

----------याचिकाकर्तागण

बनाम

1. स्मृति वर्मा पत्नी कर्नल संदीप कुमार, पुत्री तारकेश्वर प्रसाद गाँव-अलीसराय, डाकघर-मछाही, थाना-सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
2. स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद के पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार (आईसी-61794 एम), हाउस नंबर 455, वार्ड सं॰ 03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, थाना देवरिया, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) के निवासी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

पटना उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट-- खंड 10-- सेना अधिनियम 1950-- खंड। 90, 91---सेना नियम, 1954-नियम 193-- सैन्य कर्मियों की पत्नी के लिए वैवाहिक विवाद-- वर्ष 2015 में, कमांडिंग ऑफिसर ने अपीलार्थी के वेतन का 22 प्रतिशत प्रति माह उसकी पत्नी को रखरखाव भत्ते के रूप में भुगतान करने के लिए कटौती करने का आदेश दिया। 6-याचिकाकर्ता-सेना के आदेश दिनांक 17.07.2020 के अनुसार सेना द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रखरखाव भत्ते को तीन साल की सीमित अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है-- इसके बाद 2021 में प्रतिवादी संख्या के रूप में रखरखाव भत्ते को बंद करने का निर्णय लिया गया था। 6-याचिकाकर्ता पहले ही पाँच साल की अवधि को पार कर चुका था यानी अधिकतम अवधि जो सेना रखरखाव भत्ते को बढ़ा सकती है-रिट अदालत ने रखरखाव भत्ते को बंद करने को दरकिनार कर दिया-इसलिए वर्तमान अपीलें दायर की गयी है।

न्यायालय ने कहाः पत्नी को वैकल्पिक उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित करना और बाद के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पांच साल की अवधि के बाद भरण-पोषण भत्ते को बंद करना वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि 2015 का आदेश अलग हो चुकी पत्नी के पक्ष में बाद की शादी या मृत्यु तक जीवित रहना था-पत्नी को पहली बार दिनांकित पत्र द्वारा नए दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया गया था और रखरखाव भत्ते को बंद करने का निर्णय एक साल के भीतर लिया गया था, यानी 10.11.2021-अदालत से संपर्क करने और आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए था-अपीलकर्ताओं को रखरखाव भत्ते के भुगतान को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था ----उत्तरदाता नं। 6-याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उचित दीवानी अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया-(पैरा 6,11,16,42,46,47,50)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.873

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16821

==========

ले0 कर्नल संदीप कुमार (आई.सी.-6179 एम) पुत्र स्व 0 रामचन्द्र प्रसाद निवासी- मकान सं०-455, वार्ड सं०-03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, जिला-देवरिया (यू. पी.), वर्तमान-मुख्यालय 26 में पदस्थापित तोपखाना ब्रिगेड (ए), पिन-908026, द्वारा 56 ए पी.ओ. वर्तमान निवास स्थान-मकान सं० 455, वार्ड सं०-03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, थाना-देवरिया, जिला-देवरिया (यू. पी.)

----------याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, अनुशासन और सतर्कता डी. वी.-4 (ए), एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय-क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय (सेना), डी. एच. क्यू. पी. ओ., नई दिल्ली-110105।
3. जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
4. ब्रिगेडियर, स्टाफ ऑफिसर (अनुशासन और सतर्कता) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
5. कर्नल, स्टाफ ऑफिसर/कार्यवाहक कर्नल ए (मानवाधिकार) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
6. स्मृति वर्मा, पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार, पुत्री तारकेश्वर प्रसाद गाँव-अलीसराय, डाकघर-माछेही, थाना सकरा, जिला-मुजफ्फपुर।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2023 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1114

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं॰ 16821

==========

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, अनुशासन और सतर्कता डी. वी.-4 (ए), एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय-क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय (सेना), डी. एच. क्यू. पी. ओ., नई दिल्ली-110105।
3. जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर, पिन-908543, द्वारा 56 ए. पी. ओ.
4. ब्रिगेडियर, स्टाफ ऑफिसर (अनुशासन और सतर्कता) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543, द्वारा 56 एपीओ के लिए।
5. कर्नल, स्टाफ ऑफिसर/कार्यवाहक कर्नल ए (मानवाधिकार) जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान, पिन-908543,

----------याचिकाकर्तागण

बनाम

1. स्मृति वर्मा पत्नी कर्नल संदीप कुमार, पुत्री तारकेश्वर प्रसाद गाँव-अलीसराय, डाकघर-मछाही, थाना-सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर।
2. स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद के पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार (आईसी-61794 एम), हाउस नंबर 455, वार्ड सं॰ 03, न्यू कॉलोनी, देवरिया, थाना देवरिया, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) के निवासी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

(2023 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 873 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए : श्री अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अधिवक्ता

(की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1114 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री कनक वर्मा अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री शशांक चंद्र, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

तिथी: 18-01-2024

पक्षों को सुना।

2. दो अपीलें, एक भारत संघ द्वारा दायर की गई (2023 का एल. पी. ए. सं. 1114) और दूसरी लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार द्वारा (2023 का एल. पी. ए. सं. 873) 2021 के C.W.J.C सं. 16821 में पारित दिनांकित 08.05.2023 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता, स्मृति वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करने की अनुमति दी है।

3. वर्तमान अपीलों को उत्पन्न करने वाले तथ्यों का मैट्रिक्स इस प्रकार हैः-

4. प्रत्यर्थी सं.6-याचिकाकर्ता (2023 के एल. पी. ए. संख्या 873 में), स्मृति वर्मा ने अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) के साथ अपनी शादी की गाँठों को बांधा, जो तब 19.11.2013 को भारतीय सेना के साथ सेवारत मेजर थे। वह दावा करती है कि

बाद में उसे उसके पति/ससुराल वालों द्वारा एक साल के भीतर 19.06.2014 को उसके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया था।

5 चूंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था, उनके माता-पिता संविदात्मक पंचायत शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने रखरखाव के अनुदान के लिए कमांडिंग ऑफिसर, 196 फील्ड रेजिमेंट, सी/ओ-56 एपीओ से संपर्क किया। इसके बाद, 13.07.2015 को, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया।

6. इसके बाद जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी कमान ने सेना अधिनियम की धारा 90 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए (जिसे इसके बाद '1950 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) सेना नियम, 1954 के नियम 193 के साथ पढ़ा गया (अब से संक्षेप में '1954 नियम'), प्रत्यर्थी संख्या-6 याचिकाकर्ता को रखरखाव भत्ते के रूप में भुगतान के लिए प्रति माह अपीलार्थी के वेतन का 22 प्रतिशत काटने का निर्देश दिया। 20.11.2015 दिनांकित पत्र का पैराग्राफ 2 इस प्रकार हैः

> ***"पत्नी के संबंध में भरण-पोषण भत्ते की कटौती अधिकारी के साथ महिला की शादी या उसकी मृत्यु तक जारी रहेगी जो भी पहले हो, कायम रहती है।***

7. प्रत्यर्थी सं.- 6-याचिकाकर्ता ने अपने पति (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341,323,379,504,498ए और 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 2015 का सकर थाना मामला संख्या 25 भी दर्ज किया।

8. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (अब से संक्षिप्त में '1955 अधिनियम') की धारा 13 (1-ए) के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार न्यायालय, देवरिया के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के

न्यायालय के समक्ष 2016 के तलाक मुकदमा संख्या 402 के माध्यम से वैवाहिक मामले (तलाक) को प्राथमिकता दी।

9. प्रत्यर्थी सं. 6- उत्तर प्रदेश में दायर मामले का बचाव करने की कठिन शर्त पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने उक्त वैवाहिक मामले को देवरिया, (उत्तर प्रदेश) से मुजफ्फरपुर, (बिहार) में स्थानांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

10. उक्त **स्थानांतरण याचिका (सी-7/2018)** पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30.08.2019 को अनुमति दी गई जिसके बाद **तलाक याचिका संख्या 402/2016** को परिवार न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत के रूप में पुनः क्रमांकित **2019 का वैवाहिक मामला सं. 523।**

11. यह वर्ष 2020 में था जब 10.11.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 6-याचिकाकर्ता को कर्नल, कर्मचारी अधिकारी (मानवाधिकार), पश्चिमी कमान, सी/ओ-56 एपीओ द्वारा सूचित किया गया कि रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित बाद के निर्णय दिनांक 29.11.2018 के अनुसार, सेवारत सैन्य कर्मियों के जीवनसाथी को रखरखाव भत्ता तीन साल की सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसे आगे दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, उन्हें इस मामले में निर्णय लेने से पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्या रखरखाव भत्ते के लिए कोई याचिका उनके द्वारा उपयुक्त दीवानी/आपराधिक न्यायालय के समक्ष दायर की गई है या नहीं। यह भी सूचित किया गया कि ऐसा करने में विफल रहने पर, 10.01.2021 को रखरखाव भत्ता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। प्रत्यर्थी सं.-6-याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था।

12. इसके बाद, 28.04.2021 को, उक्त अधिकारी द्वारा उन्हें एक और पत्र भेजा गया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि रखरखाव भत्ते को बंद करने की अवधि को संशोधित किया गया है क्योंकि इसे 10.11.2021 पर स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाएगा। प्रत्यर्थी सं० 6 याचिकाकर्ता के अनुसार यह पत्र भी शुरू में उसे नहीं दिया गया था।

13. 28.04.2021 दिनांकित पत्र इस प्रकार हैः

"श्रीमती स्मृति वर्मा

पत्नि लेफ्टिनेंट नेंट कर्नल संदीप कुमार

पुत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद VII-अलीसराय

पी. ओ.-माचाही

थाना-सक्र, वाया-टोली

जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

राज्य-बिहार

पिन कोड-843105

श्रीमती स्मृति वर्मा पत्नी/ओ आई. सी.-61794 एम. एल. टी. कोल संदीप कुमार मुख्यालय 26 आर्टी बी. डी. ई. को रखरखाव की अनुमति देने के लिए सूचना, सामान्य अधिकारी द्वारा सामान्य रूप से, 20 नवंबर 2015 को पश्चिमी कमान

1. मुख्यालय पश्चिमी कमान पत्र संख्या 0420/01/DV-3 दिनांक 10 नवंबर 2020 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त पत्र के पैरा 4 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं।

<u>के लिए</u>

यदि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर शपथ पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास आगे बढ़ाने के लिए कोई जानकारी नहीं है। आपको दिया जाने वाला रखरखाव भत्ता 10 जनवरी 2021 को अपने आप बंद हो जाएगा।

<u>पढ़िए</u>

यदि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर शपथ पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास आगे बढ़ाने के लिए कोई जानकारी नहीं है। आपको दिया जाने वाला रखरखाव भत्ता 10 नवंबर 2021 को अपने आप बंद हो जाएगा।

3 इसके अतिरिक्त कोई बदलाव नहीं।

(आर. एस. मंगत) कर्नल

कर्नल ए (मानवाधिकार)

जीओसी-इन-सी के लिए"

14. इसके बाद 24.06.2021 को एक अन्य पत्र प्रत्यर्थी सं.-5 द्वारा यह कहते हुए भेजा गया कि रखरखाव भत्ता प्रभावी 10.11.2021 बंद कर दिया जाएगा। उत्तरदाता नं. के एक अन्य पत्र में इसे दोहराया गया था। कि दिनांक 26.07.2021 जिसमें पैराग्राफ-2 में कहा गया था कि तीन साल पूरे होने के बाद रखरखाव भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं था, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका वह पहले ही लाभ उठा चुकी है।

15. प्रत्यर्थी सं.- 6-याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 24.06.2021 दिनांकित पत्र उसे बाद में प्राप्त हुआ। पीड़ित द्वारा रिट याचिका (2021 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. 16821) को प्राथमिकता दी गई।

16. इसके बाद, प्रत्यर्थी सं.- 5 ने दिनांक 25.08.2021 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक-11) का आदेश जारी किया जिसके द्वारा दिनांकित 29.11.2018 विशेषज्ञ समिति के पत्र के साथ-साथ दिनांकित 29.07.2020 रक्षा मंत्रालय के पत्र पर भी ध्यान देने के बाद, दिनांकित 20.11.2015 (रखरखाव भत्ता प्रदान करना) के आदेश और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व ने उन्हें रखरखाव भत्ता 10.11.2021 को बंद करने के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया। उक्त आदेश प्रत्यर्थी सं. 6 रिट याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर लाया गया था। अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता।

17. आधिकारिक उत्तरदाता सं.- 1 से 5 (रिट याचिका में) और साथ ही अपीलार्थी-प्रत्यर्थी सं.- 6 (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) ने अपने-अपने उत्तरों को प्राथमिकता दी।

18. आधिकारिक प्रत्यर्थी (यहाँ अपीलकर्ता) का रुख यह था/था किः

(i) इससे पहले नियमित तरीके से, रखरखाव भत्तों को '1950 अधिनियम' की धारा 90 और 91 के तहत बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम हुए क्योंकि वे वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं थे;

(ii) इसे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष हरी झंडी दिखाई गई थी।

(iii) तदनुसार, अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए भरण-पोषण भत्ता देने का निर्णय लिया गया था, इसके पीछे का उद्देश्य अलग-थलग पड़ी पत्नी को सिविल कोर्ट का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित करना था, क्योंकि व्यक्तिगत कर्मियों के समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के मामले में, पत्नी असहाय हो जाएगी।

(iv) जैसा कि उक्त अवधि पहले ही बीत चुकी थी और प्रत्यर्थी नं। 6-याचिकाकर्ता ने दीवानी/आपराधिक न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, उसी को प्रभावी 10.11.2021 से बंद कर दिया गया था;

(v) प्रश्नगत आदेश पूरी तरह से उचित था और रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

19. अपीलार्थी-प्रतिवादी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) के जवाब के अनुसारः

(i) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 90 और 91 का उपयोग रखरखाव भत्ते देने के लिए नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है।

(ii) प्रत्यर्थी सं.- 6-याचिकाकर्ता के पास '1955 अधिनियम' के तहत वैकल्पिक उपाय था; जिसका लाभ नहीं उठाया गया और इस तरह आधिकारिक उत्तरदाताओं ने प्रभावी रखरखाव भत्ते को 10.11.2021 से प्रभावित तिथि से बंद करने के लिए सही निर्णय लिया।

20. ज्ञात एकल न्यायाधीश ने मामले को उठाया और 08.05.2023 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से कहा किः

(i) उत्तरदाताओं द्वारा जारी दिनांकित 20.11.2015 पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक अधिकारी के साथ विवाह नहीं हो जाता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।

(ii) पाँच साल के बाद रखरखाव भत्ता वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

(iii) जुलाई, 2020 के परामर्श में उन लोगों के बारे में बात की गई है जिन्हें 29.11.2018 से पहले रखरखाव भत्ता दिया गया है, उन्हें सूचित करने के लिए कहा गया है कि इसे व्यवहार न्यायालय से संपर्क करना होगा, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप रखरखाव भत्ता बंद हो जाएगा;

(iv) 1950 के अधिनियम की धारा 90 और 91 जो दंडात्मक कटौती के बारे में बात करता है, वह पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए एक वैधानिक कटौती है और राहत देने के लिए उक्त धाराओं को शामिल करने के पीछे उद्देश्य था।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दिया कि रखरखाव भत्ते को बंद करने के लिए प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों द्वारा लिया गया निर्णय जाना चाहिए और तदनुसार 08.05.2023 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से 24.06.2021 (रिट याचिका के अनुलग्नक-7) के साथ-साथ परिणामी पत्रों को भी खारिज कर दिया।

22. पीड़ित, वर्तमान अपीलों को आधिकारिक उत्तरदाताओं (2023 का एल. पी. ए. संख्या 1114) के साथ-साथ पति, लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार (2023 का एल. पी. ए. संख्या 873) दोनों द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

23. डॉ. के. एन. सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दोनों अपीलों में दलीलों का नेतृत्व किया और उनके अनुसार, प्रतिवादी नं. 6-याचिकाकर्ता, अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमा) को कारण बताओ का आदेश जारी करने के बाद, प्रत्यर्थी को उसके वेतन और भत्तों से 22 प्रतिशत प्रति माह की दर से कटौती करने और प्रत्यर्थी सं.-6 याचिकाकर्ता को देने के लिए निर्णय 20.11.2015 को लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने तलाक का मुकदमा सं.- 402/2016 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देवरिया, (उत्तर प्रदेश) के न्यायालय से 2023 के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर, (बिहार) के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या-7 दायर करने के बाद, जिसे 2019 के वैवाहिक मामले संख्या 523 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।

24. उनके अनुसार, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बाद में अनुमोदन के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि रखरखाव भत्ता तीन साल की सीमित अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जिसे दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और उस पृष्ठभूमि में, जिन्हें 29.11.2018 से पहले रखरखाव भत्ता दिया गया था, उन्हें इस बात पर ध्यान दिया गया कि क्या उन्होंने व्यवहारिक/आपराधिक न्यायालय के समक्ष रखरखाव भत्ता देने के लिए कोई आवेदन दिया है या नहीं।

25. वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी सं.-6-याचिकाकर्ता को उक्त बिंदु पर कई पत्र जारी किए गए थे और उसके द्वारा दिनांकित 24.06.2021 को 03.07.2021 दायर किए गए टालमटोल जवाब के बाद, रखरखाव भत्ते को बंद करने का निर्णय लिया गया क्योंकि वह पहले ही पांच साल की अवधि को पार कर चुकी थी, यानी अधिकतम अवधि जो सेना रखरखाव भत्ते को बढ़ा सकती है। उन्होंने दोहराया कि सेना द्वारा रखरखाव भत्ते को सीमित करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि सेना के अधिकारी ऐसे मामलों में विशेषज्ञ नहीं हैं और इसके अलावा यह जीवनसाथी की बेहतरी के लिए कि उसे एक सक्षम

व्यवहार/अपराधी से आदेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि संबंधित अधिकारी/व्यक्ति नौकरी छोड़ने से वह असहाय हो जाएगी।

26. विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी सं.-6-याचिकाकर्ता ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर की अदालत में लंबित वैवाहिक मुकदमे के बावजूद किसी भी याचिका को प्राथमिकता नहीं देने का फैसला किया। सेना, इसलिए, बदले हुए दिशानिर्देशों को देखते हुए उसी प्रभावी 10.11.2021 से बंद करने के अपने अधिकार के भीतर थी। यह उनका निवेदन है कि विद्वान एकल न्यायाधीश आदेशों को दरकिनार करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इन पहलुओं पर गौर करने में विफल रहे और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

27. 2023 के एल. पी. ए. सं. 873 में अपीलार्थी श्री मोहित अग्रवाल की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने डॉ. के. एन. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया है और यह उनका आगे का निवेदन है कि चूंकि महिला ने अपने भरण-पोषण भत्ते के लिए संबंधित परिवार न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की है, उक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निश्चित रूप से रखरखाव भत्ते को बंद करने के आदेश को रद्द करने में गलती की है क्योंकि बदले गए दिशानिर्देशों के बाद, महिला सेना को जानबूझकर पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं करके रखरखाव भत्ते को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। उनके अनुसार, महिला ने अभी तक भरण-पोषण भत्ता देने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की है।

28. प्रतिवादी सं.- 6- याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। दूसरी ओर याचिकाकर्ता, श्री शशांक चंद्र ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि प्रतिवादियों के 2015 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भरण-पोषण भत्ता तब तक जारी रहेगा जब तक कि विवाह अधिकारी के साथ रहता है या

उसकी मृत्यु जो भी पहले हो। यह उनका निवेदन है कि बीच में, प्रतिवादी को गोल पोस्ट बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

29. अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि आज तक उसने कोई रखरखाव भत्ता दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादी सं.- 6-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 08.01.2024 को पिछली सुनवाई में प्रस्तुत किया था कि उसकी जानकारी में, परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

30. अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) और प्रत्यर्थी सं.- 6 अपीलकर्ता, स्मृति वर्मा के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों को देखते हुए। वैवाहिक मामला संख्या 523 में भरण-पोषण भत्ता देने के लिए आवेदन दायर करने के मुद्दे पर, इस न्यायालय ने दिनांक 08.01.2024 के आदेश ने 2019 के वैवाहिक मामले संख्या 523 में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर की अदालत से रिपोर्ट माँगी।

31. हालाँकि जब मामला 18.01.2024 को उठाया गया था, तो परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर की कोई रिपोर्ट अभिलेख में नहीं है/थी, नए निर्देश पर, प्रतिवादी स्मृति वर्मा के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आज तक उन्होंने भरण-पोषण भत्ता देने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है।

32. प्रत्यर्थी सं.6, याचिकाकर्ता का रुख/रवैया का इतने साल बीतने के बावजूद प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के समक्ष भरण-पोषण भत्ते के लिए उचित याचिका दायर नहीं करना और अपने वकील को गलत निर्देश देना स्पष्ट रूप से निंदनीय है।

33. मामले के तथ्यों के साथ-साथ पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 08.05.2023 दिनांकित आदेश को देखने के बाद, इस न्यायालय को पहले 20.11.2015 दिनांकित आदेश को ध्यान में रखना होगा। वह पढ़ता है।

इस प्रकार हैःपत्नी के संबंध में भरण-पोषण भत्ता प्रत्यर्थी सं. 6-रिट याचिकाकर्ता के लिए तब तक जारी रहेगा, जब तक अधिकारी के साथ महिला की शादी कायम रहती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी पहले हो।

34. उपरोक्त निर्णय दिनांक 20.11.2015 'सेना अधिनियम 1950' की धारा 90 और 91 के तहत लिया गया जो निम्नानुसार हैः-

> ***"90. वेतन से कटौती और अधिकारियों के वेतन और भत्ते से कटौती -*** *अधिकारी के वेतन और भत्तों से निम्नलिखित दंडात्मक कटौती की जा सकती है, अर्थात -*
>
> *(क) प्रत्येक दिन के लिए एक अधिकारी को देय सभी वेतन और भत्ते जो वह बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है, जब तक कि उसके कमांडिंग अधिकारी को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो और उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;*
>
> *(ख) हर दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जब वह हिरासत में है या किसी ऐसे अपराध के आरोप में ड्यूटी से निलंबन के तहत है जिसके लिए उसे बाद में आपराधिक अदालत या कोर्ट-मार्शल या धारा 83 या धारा 84 के तहत अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा दोषी ठहराया जाता है;*
>
> *(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के वेतन को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई राशि जिसे उसने गैरकानूनी रूप से बनाए रखा है या गैरकानूनी रूप से भुगतान करने से इनकार कर दिया है;*
>
> *(घ) किसी अपराध के कारण हुए किसी भी खर्च, नुकसान, क्षति या विनाश के लिए ऐसा मुआवजा देने के लिए*

आवश्यक कोई राशि जो उस कोर्ट मार्शल द्वारा निर्धारित की जा सकती है-मार्शल जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या धारा 83 या धारा 84 के तहत अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा;

(ङ) न्यायालय-मार्शल 24 द्वारा आदेशित सभी वेतन और भत्तों को जब्त करने या रोकने के लिए;

(च) धारा 69 के तहत आपराधिक न्यायालय या कोर्ट-मार्शल द्वारा प्रदत्त जुर्माने का भुगतान करने के लिए आवश्यक कोई राशि।

(छ) सार्वजनिक या रेजिमेंटल संपति के किसी भी नुकसान, क्षति या विनाश की भरपाई के लिए आवश्यक कोई भी राशि, जो उचित जांच के बाद केंद्र को प्रतीत होती है कि अधिकारी की ओर से गलत कार्य या लापरवाही के कारण हुई है।

(ज) केंद्र सरकार के आदेश से जब्त किए गए सभी वेतन और भत्ते, यदि इस संबंध में सेनाध्यक्ष द्वारा गठित जांच न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि अधिकारी दुश्मन के लिए छोड़ दिया गया है, या दुश्मन के हाथों में रहते हुए, दुश्मन के साथ या उसके आदेश के तहत सेवा की है, या किसी भी तरह से दुश्मन की सहायता की है, या उचित सावधानी के अभाव में या आदेशों की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा के कारण दुश्मन द्वारा खुद को बंदी बनाने की अनुमति दी है, या दुश्मन द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण, जब संभव हो तो अपनी सेवा में फिर से शामिल होने में विफल रहा है।

(झ) केंद्र सरकार [या किसी निर्धारित अधिकारी] के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसके वैध या अवैध बच्चे के भरण-पोषण के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या बच्चे को दी गई किसी भी राहत की लागत के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक कोई राशि।

91. अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्तों से कटौती - *विषय धारा 94 की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार, एक अधिकारी के अलावा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के वेतन और भत्तों से निम्नलिखित दंडात्मक कटौती की जा सकती है, अर्थात -*

(क) पलायन पर या युद्ध बंदी के रूप में अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते, और परिवहन या आपराधिक न्यायालय के प्रत्येक दिन के लिए, धारा 80 के तहत एक कोर्ट-मार्शल या एक अधिकारी कारावास अधिकार;

(ख) हर दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जब वह किसी ऐसे अपराध के आरोप में हिरासत में है जिसके लिए उसे बाद में आपराधिक कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराया जाता है, या बिना अनुमति के अनुपस्थिति के आरोप में जिसके लिए उसे बाद में धारा 80 के तहत अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा कारावास 28 [* *] से फैसला किया जाता है;*

(ग) प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जिस पर वह बीमारी के कारण अस्पताल में है, उसकी देखभाल करने वाले

चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वह इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण हुआ है;

(घ) हर उस दिन के लिए, जिस दिन वह अस्पताल में अपनी देखभाल कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित बीमारी के कारण अस्पताल में है कि वह अपने स्वयं के कदाचार या लापरवाही के कारण हुआ है, ऐसी राशि जो केंद्र सरकार या ऐसे अधिकारी के आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जो उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(ङ) कोर्ट-मार्शल या धारा 80,83,84 और 85 में से किसी के तहत अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा आदेशित सभी वेतन और भत्ते जब्त या रोके जाने के लिए;

(च) दुश्मन से उसके बरामद होने और दुश्मन द्वारा बंदी बनाए जाने या उसके हाथों में होने के दौरान उसके आचरण के परिणामस्वरूप सेवा से उसकी बर्खास्तगी के बीच प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते;

(छ) केंद्र सरकार या किसी भवन या संपत्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी खर्च, नुकसान, क्षति या विनाश के लिए ऐसा मुआवजा देने के लिए आवश्यक कोई राशि जो उसके कमांडिंग अधिकारी द्वारा दी जाए;

(ज) धारा 69 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले आपराधिक न्यायालय, मार्शल न्यायालय या धारा 80 और 89 में से किसी के तहत अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए आवश्यक कोई राशि;

(झ) केंद्र सरकार या किसी विहित अधिकारी के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसके वैध या अवैध बच्चे के भरण-पोषण के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या बच्चे को दी गई किसी भी राहत की लागत के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक कोई राशि। "

35. इसके बाद, यद्यपि 29.11.2018 को कुछ प्रगति हुई क्योंकि रक्षा मंत्रालय (सेना) नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक (अनुशासन और सतर्कता) के कार्यालय द्वारा रखरखाव भत्ता देने के संबंध में एक परामर्श जारी किया गया था और उक्त परामर्श के खंड 8 (ए) को निम्नानुसार पढ़ा गया थाः

"(क) पत्नी न्यायालय के माध्यम से एक साथ निवारण की मांग करने के लिए इच्छा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रखरखाव भत्ता एक सीमित अवधि के लिए दिया जाएगा, यानी शुरू में तीन साल की अवधि के लिए। जबकि उसे व्यवहार न्यायालय के माध्यम से मामले पर निर्णय लेने की विधिवत सलाह देते हुए। न्यायिक प्रक्रिया की अंतिमता के मामले में इस अवधि को दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए पति को तीन साल के अंत में सबूत जमा करने के लिए कहा जाएगा। न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण भत्ते सुनिश्चित करने की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति के समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने की स्थिति में पत्नी के असहाय होने के तर्क को महिला को सलाह दी जानी चाहिए।

36. उपरोक्त खंड से पता चलता है कि सलाहकार के निर्माता चाहते थे कि पत्नी रखरखाव भत्ता देने के लिए व्यवहार न्यायालय का रास्ता अपनाए ताकि यदि कोई व्यक्ति समय से पहले सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ता है, तो वह असहाय न हो जाए। यह

प्रावधान एक प्रचुर सावधानी के रूप में था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अलग-थलग पड़ी असहाय पत्नी समय बीतने और परिस्थितियों में बदलाव के साथ उपचार से वंचित न हो जाए। रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी लिया गया था, पति के वेतन से, अंतराल में, शुरू में तीन साल के लिए और फिर दो और; गणना कानूनों में देरी।

37. यह सेना अधिनियम के तहत सेना के कर्मियों की पत्नियों और बच्चों को रखरखाव भत्ते के भुगतान से संबंधित सेना के आदेश दिनांक 17.07.2020 का पालन करता है।

38. रखरखाव भत्तों से संबंधित उक्त आदेश का पैराग्राफ-5 इस प्रकार हैः

"पत्नी को न्यायालय के माध्यम से एक साथ निवारण की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भरण-पोषण भत्ता शुरू में तीन साल की अवधि की सीमित अवधि प्रदान की जाएगी, जबकि उसे व्यवहार न्यायालय के माध्यम से मामले का निर्णय लेने की विधिवत सलाह दी जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया की अंतिमता के मामले में इस अवधि को दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक को तीन साल के अंत में सबूत जमा करने के लिए कहा जाएगा। न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण भत्ता सुनिश्चित करने की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति के समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने की स्थिति में पत्नी के असहाय होने के तर्क की महिला को सलाह दी जानी चाहिए।

39. इसके अलावा पैरा-8 (ग), (घ) और (ड़) निम्नानुसार हैः

(ग) ऐसे मामलों में जहां विवाह के विघटन तक भरण-पोषण देय है, वे अदालत में इस ओर से याचिका दायर होते ही अपने कमांडिंग ऑफिसर को सूचित करेंगे। तलाक की अंतिम डिक्री पारित होने के बाद या शादी के विघटन के बाद प्रथागत कानून के तहत प्रभावित हुआ है, ऐसे

विघटन के बारे में तुरंत कमांडिंग ऑफिसर को सूचित किया जाएगा। सरकार के राजपत्रित अधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित विघटन का मूल आदेश भी कमांडिंग अधिकारी को भेजा जाएगा।

(घ) ऐसे मामलों में जहां अदालत की एक एकपक्षीय डिक्री द्वारा तलाक दिया गया है, यह पता लगाना कमांडिंग ऑफिसर का दायित्व है कि महिला उक्त आदेश से अवगत है या यदि उसके खिलाफ अपील लंबित है, तो रखरखाव भत्ते को रोकने के संबंध में पी. सी. डी. ए.) (ओ)/पी. ए. ओ. को सूचित करने से पहले। यदि महिला द्वारा दायर अपील में तलाक की डिक्री पर रोक लगा दी गई है, तो रखरखाव भत्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए।

(ई) रखरखाव भत्ते के प्राप्तकर्ताओं में से किसी की मृत्यु की स्थिति में, व्यक्ति के कमांडिंग ऑफिसर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

40. इसके अलावा, जिन मामलों में रखरखाव भत्ता स्वीकृत किया गया है और इसमें बदलाव की आवश्यकता है, पैरा-12 उन मामलों से संबंधित है जिनके अनुसार पैरा-8 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बदलाव किया जा सकता है।

"यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार द्वारा रखरखाव भत्ता स्वीकृत किया गया था और अब एक परिवर्तन आवश्यक है, जीओसी-इन-सी कमान उपरोक्त पैरा-8 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस तरह के परिवर्तन को लागू करने में सक्षम होगी, रक्षा मंत्रालय आईडी संख्या 71902/1 एजी/डीवी-4 (पीसी)/92/एस/डी (एजी) दिनांक 22 मार्च 1994 की एक प्रति।

41. इस प्रकार, सलाहकार/आदेश से पता चलता है कि इसके निर्माता चाहते थे कि व्यवहार न्यायालय द्वारा एक उचित आदेश प्राप्त किया जाए, ताकि अधिकारी के समय से पहले सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पत्नी नुकसानदेह स्थिति में न हो और इस

प्रकार यह बार-बार दर्ज किया गया है कि उन्हें अदालतों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

42. हालांकि, वर्तमान मामले में, वर्ष 2015 में जारी किए गए बाद के दिशानिर्देशों को देखते हुए पत्नी को वैकल्पिक उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित करना और पांच साल की अवधि के बाद भरण-पोषण भत्ता बंद करना सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। अलग हो चुकी पत्नी के पक्ष में 2015 के आदेश बाद की शादी या उसकी मृत्यु तक बने रहने के लिए थे। जिस पत्नी ने 2015 में आदेश प्राप्त किया था, जिसे रखरखाव का भी भुगतान किया जा रहा था, उसे पहली बार 10.11.2020 दिनांकित पत्र द्वारा नए दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया गया था। एक वर्ष के भीतर रखरखाव भत्ता, यानी 10.11.2021 को बंद करने का भी निर्णय लिया गया था। यह नए दिशानिर्देशों की भावना से प्रतिबिंबित देखभाल और सावधानी के अनुरूप नहीं है; जिसने कानून-देरी को गिना और पत्नी को अंतरिम राहत प्रदान की। इसलिए अदालत से संपर्क करने और आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने का ध्यान रखा जाना चाहिए था।

43. इस न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि प्रत्यर्थी सं. 6 स्मृति वर्मा को भत्ता 08.10.2014 से प्रभावी दिया गया था। मान लीजिए, पांच साल की अवधि 08.10.2019 को समाप्त हुई। नए दिशानिर्देशों/परामर्शों के आने के बावजूद, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने न केवल इसे 10.01.2021 तक (यानी पांच साल से आगे) आगे की अवधि के लिए बढ़ाया, बाद में 28.04.2021 दिनांकित पत्र के माध्यम से उन्होंने खुद ही इसे फिर से 10.11.2021 तक बढ़ा दिया। नए दिशानिर्देशों की जानकारी पत्नी को केवल 2020 में दी गई थी।

44. जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार, उनकी जानकारी के बावजूद कि महिला अपने माता-पिता के साथ मुज़फ़्फ़रपुर में रह रही है, उन्होंने देवरिया (यू. पी. जहाँ उन्हें तैनात भी नहीं किया गया था) में वैवाहिक मामले को प्राथमिकता

दी और यह केवल प्रतिवादी सं.6, स्मृति वर्मा ने कदम उठाए और माननीय शीर्ष के समक्ष स्थानांतरण याचिका (ओं) (सिविल) संख्या (ओं) 7/2018 को प्राथमिकता दी कि 30.08.2019 को, इसे प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर (बिहार) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और वैवाहिक मामला संख्या- 2019 का 523 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

45. जबकि हम सेना द्वारा लिए गए इस रुख की सराहना करते हैं कि अलग हो चुकी पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हम इस विशेष मामले में उनके अवलोकन से पूरी तरह से असहमत हैं कि उन्हें दिया गया भरण-पोषण भत्ता पांच साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब वे अपने दम पर दो बार इसे बढा चुके है। सेना का दावा है कि पांच साल की अवधि भी 2018 के दिशानिर्देशों से पहले की थी, जिसे केवल 2020 में पत्नी को सूचित किया गया था।

46. ऐसा देखने के बाद, हम इस तथ्य पर आंखें मूंद नहीं सकते कि महिला ने अभी भी रखरखाव भत्ते के भुगतान के लिए एक उचित न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं करने का फैसला किया है। निर्देश पर महिला की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने कहा कि वह आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर 2019 के वैवाहिक मामले संख्या 523 में परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के समक्ष एक उचित याचिका दायर करेगी। हम उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को भी देखते हैं और उपरोक्त को उनके अपने वचन के रूप में दर्ज करते हैं।

47. यह प्रत्यर्थी सं. 6, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उक्त वचन पर है। कि, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ता हैः-

(i) अपीलार्थी सं.- 3 से 5 (2023 के एल. पी. ए. सं. 1114 में) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्थी सं. को 22 प्रतिशत रखरखाव भत्ता दिया जाए। (दिनांकित 20.11.2015 के आदेश के अनुसार) फरवरी, 2024 से फिर से शुरू होता है;

(ii) परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर, द्वारा 2023 डी. टी. द्वारा प्रस्तुत याचिका पर एक उचित आदेश पारित करेगा। उत्तरदाता सं.- 6 अपीलार्थी (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) को याचिका दायर करने के छह महीने के भीतर सुनवाई के भीतर रखरखाव भत्ता देने के लिए;

(iii) प्रत्यर्थी सं.6 को दिया गया रखरखाव भत्ता परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा याचिकाकर्ता का बकाया भी देय होगा जिसका वह हकदार है/थी, लेकिन वर्ष 2021 में उसे रोक दिया गया था क्योंकि परिवार न्यायालय, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा निर्धारित राशि याचिकाकर्ता (लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप कुमार) के वेतन से कटौती के बाद उसे देय होगी।

48. प्रत्यर्थी पत्नी से कोई धनवापसी नहीं हो सकती है, यदि सेना द्वारा उसके पहले के आदेश के अनुसार कोई राशि का भुगतान किया गया है; यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण कम है। यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण अधिक है तो यह याचिकाकर्ता को केवल भविष्य के लिए और उस अवधि के लिए देय होगा जिसमें सेना ने उसका भुगतान 10.11.2021 से फरवरी, 2022 तक रोक दिया है; क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने भरण-पोषण के लिए पहले उचित कार्यवाही नहीं की थी।

49. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि भरण-पोषण की राशि और पत्नी की हकदार पाई जाने वाली राशि न्यायालय के विवेक पर होगी और यह इस निर्णय या सेना द्वारा पारित 2015 के आदेश द्वारा शासित नहीं होगी।

50. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इस न्यायालय ने रखरखाव भत्ता देने से संबंधित सेना के बदले हुए दिशानिर्देशों/परामर्श पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

51. दोनों अपीलों का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया गया है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

जगदीश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।